भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 232

सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

स्वदेश दर्शन योजना-2.0 के उद्देश्य

232. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यटन विभाग के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) आंतरिक और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) स्वदेश दर्शन योजना-2.0 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं एवं इसमें क्या मुख्य सुधार किए गए हैं;

(घ) स्वदेश दर्शन योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है और इनकी लागत कितनी है;

(ङ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए पर्यटक सर्किटों की संख्या और ब्यौरा क्या हैं;

(च) तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं; और

(छ) इस मिशन के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी लागत कितनी है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने तथा केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा निजी क्षेत्र के कार्यकलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी है । पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

i. सभी नीतिगत मामले
ii. नियोजन
iii. अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वयन
iv. विनियमन
v. अवसंरचना तथा उत्पाद विकास
vi. अनुसंधान, विश्लेषण, निगरानी और मूल्यांकन

vii. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाह्य सहायता
viii. वैधानिक एवं संसदीय कार्य
ix. फील्ड कार्यालयों के कार्यों की समग्र समीक्षा
x. मार्केटिंग तथा संवर्धन कार्य

(ख): पर्यटन मंत्रालय देश के भीतर तथा विदेशी बाजारों में देश के पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है । मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी संवर्धन कार्य किया जाता है । मंत्रालय द्वारा तैयार विभिन्न संवर्धनात्मक सामग्रियों, फिल्मों और अन्य कोलेटरल्स द्वारा भी देश के पर्यटक स्थलों का प्रचार किया जाता है । पर्यटन मंत्रालय भारत के पर्यटन स्थलों और उत्पादों को दर्शाने के लिए विदेशी बाजारों में आयोजित यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है । इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों के संवर्धन के लिए "अतुल्य भारत" ब्रांड-लाइन के तहत महत्वपूर्ण और संभावित विदेशी बाजारों में और देश के भीतर मीडिया अभियान जारी करता है ।

(ग) से (ड.): पर्यटन मंत्रालय ने थीम आधारित पर्यटक परिपथों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरूआत की । कुल 76 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है । पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य और पर्यटन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है । संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य संदर्शी योजना तैयार करते हैं और तदनुसार पर्यटन मंत्रालय विकास हेतु गंतव्यों का चयन करता है । पर्यटन मंत्रालय ने एसडी 2.0 के अंतर्गत विकास हेतु देश में 57 गंतव्यों को अधिसूचित किया है । स्वदेश दर्शन 1.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और एसडी 2.0 योजना के अंतर्गत अधिसूचित गंतव्यों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(च) और (छ) : पर्यटन मंत्रालय ने चिह्नित तीर्थस्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना की शुरूआत की थी । इस योजना का लक्ष्य चिह्नित स्थलों पर तीर्थयात्रा/आध्यात्मिक पर्यटन अवसंरचना का निर्माण करना है । इस योजना के अंतर्गत कुल 46 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । प्रशाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध-।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर द्वारा स्वदेश दर्शन योजना-2.0 के उद्देश्य के संबंध में दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 232 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 21.01.2024 तक स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की परिपथ-वार सूची

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**थीम का नाम**	**परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत राशि**
1.	बौद्ध परिपथ	05	319.01
2.	तटीय परिपथ	10	631.39
3.	मरूस्थल परिपथ	01	50.01
4.	इको परिपथ	06	415.44
5.	विरासत परिपथ	10	742.85
6.	हिमालय परिपथ	07	587.92
7.	कृष्ण परिपथ	02	153.19
8.	उत्तर-पूर्व परिपथ	10	816.13
9.	रामायण परिपथ	02	196.66
10.	ग्रामीण परिपथ	02	101.62
11.	आध्यात्मिक परिपथ	13	672.61
12.	तीर्थंकर परिपथ	01	33.96
13.	जनजातीय परिपथ	04	371.47
14.	वन्यजीव परिपथ	02	186.78
15.	मार्गस्थ	01	15.07
	कुल	**76**	**5294.11**

स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत अधिसूचित गंतव्यों की सूची

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**अधिसूचित गंतव्य**
1.	आंध्र प्रदेश	गंडिकोटा, अरक्कु-लाम्बासिंगी
2.	अरुणाचल प्रदेश	नाचो, मेचुका
3.	असम	जोरहाट, कोकराझार
4.	बिहार	गया, नालंदा
5.	छत्तीसगढ	बिलासपुर, जगदलपुर
6.	गोवा	पोरवोरिम, कोल्वा

7.	गुजरात	धोलावीरा, द्वारका
8.	हरियाणा	पंचकुला (मोरनी)
9.	हिमाचल प्रदेश	पोंग बांध
10.	जम्मू एवं कश्मीर	बशोली
11.	झारखंड	चांडिल
12.	कर्नाटक	हम्पी, मैसूरु
13.	केरल	कुमारकोम, कोझिकोड (बेपोर)
14.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, चित्रकूट
15.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग, अजंता-एलोरा (जिला छत्रपति संभाजीनगर)
16.	मणिपुर	मोइरांग (बिष्णुपुर)
17.	मेघालय	शिलांग, सोहरा
18.	मिजोरम	आइजोल, चम्फाई
19.	नागालैंड	न्यूलैंड, चुमुकेदिमा
20.	ओडिशा	कोरापुट, 'खिंडा गांव' के विशेष आकर्षण सहित डेब्रीगढ़
21.	पंजाब	अमृतसर, कपूरथला
22.	राजस्थान	बूंदी (केशोरायपाटन), जोधपुर
23.	सिक्किम	गंगटोक, ग्यालशिंग
24.	तमिलनाडु	मामल्लापुरम, नीलगिरी
25.	तेलंगाना	भोंगिर, अनंतगिरि
26.	त्रिपुरा	अगरतला, उनाकोटि
27.	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज, नैमिषारण्य
28.	उत्तराखंड	पिथौरागढ़, चम्पावत
29.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
30.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
31.	पुदुचेरी	पुडुचेरी, कराईकल
32.	लद्दाख	लेह, कारगिल
	कुल	**57**

****

अनुबंध-।।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर द्वारा स्वदेश दर्शन योजना-2.0 के उद्देश्य के संबंध में दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 232 के भाग (च) से (छ) के उत्तर में **विवरण**

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31.01.2024 तक प्रशाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची ।

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य /संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**परियोजनाओं की सं.**	**स्वीकृत राशि**
1	आंध्र प्रदेश	3	124.89
2	अरुणाचल प्रदेश	1	37.88
3	असम	1	29.80
4	बिहार	2	45.81
5	छत्तीसगढ	1	48.44
6	गुजरात	5	205.53
7	हरियाणा	1	48.53
8	जम्मू एवं कश्मीर	1	40.46
9	झारखंड	1	36.79
10	कर्नाटक	1	45.71
11	केरल	1	45.19
12	मध्य प्रदेश	2	93.92
13	महाराष्ट्र	1	52.92
14	मेघालय	1	29.29
15	मिजोरम	1	44.89
16	नागालैंड	2	43.44
17	ओडिशा	1	50.00
18	पंजाब	2	37.97
19	राजस्थान	1	32.64
20	सिक्किम	1	33.32
21	तमिलनाडु	2	18.85
22	तेलंगाना	3	142.28
23	त्रिपुरा	1	37.80
23	उत्तर प्रदेश	6	130.28
25	उत्तराखंड	3	145.28
26	पश्चिम बंगाल	1	30.03
	कुल योग	**46**	**1631.93**

*****